दिनांकः 30/08/2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 हत्यारोपी गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा 315 बोर, 01 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 27.08.2023 को वादी श्री मोहित पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम पिन्जौरा मल्हीपुर रोड थाना कोतवाली देहात, जनपद सहारनपुर ने थाने आकर लिखित सूचना दी मेरे भाई किशन उम्र 25 वर्ष को अज्ञात बदमाशो ने गोली मार कर हत्या कर दी है । वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0 290/23 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार चाहल द्वारा प्रारम्भ की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए घटना के शीघ्र अनवारण हेतु निर्देश दिये गये । जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली देहात निरीक्षक श्री मनोज कुमार चाहल द्वारा मय पुलिस टीम के घटना स्थल के आस पास घुम फिर कर साक्ष्य संकलन कर **आपरेशन दृष्टि के अन्तर्गत लगवाये गये कैमरो** के माध्यम से घटना का सफल अनावरण करते हुये, विवेचना के दौरान प्रकाश में आये घटना कारित करने वाले अभियुक्त **विकास पुत्र भवर सिंह निवासी ग्राम पिन्जौरा थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को मल्हीपुर रोड से गिरफ्तार कर उसकी निशा देही पर ढमोला नदी के पास से हत्या मे प्रयुक्त तमंचा 315 बोर मय खोखा व जिन्दा कारतूस आला कत्ल बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा ।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त विकास ने पूछताछ में बताया कि उसके मित्र शैंकी निवासी पिन्जौरा का प्रेम विवाह किशन की बहन से हुआ था। दोनो पति पत्नी में विगत 01 साल से आपस में विवाद चल रहा था। 06 माह पूर्व महिला थाने में इन दोनो का छूट-छूटाव हो गया था, जिसके बाद किशन की बहन किशन के साथ अपने घर पर रह रही थी। मै और मृतक किशन दोनो पड़ोसी है हम दोनो के घर की छत भी आपस में मिली हुई है। मेरे मित्र शैंकी के कहने पर मैने किशन को समझाने का प्रयास किया कि वह अपनी बहन को शैंकी के साथ भेज दे मगर उसने अपनी बहन को भेजने से मना कर दिया। घटना के दिन भी हमारा विवाद हुआ और इसी विवाद में मैने किशन के सर व कमर में गोली मार दी, जिससे किशन की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

विकास पुत्र भवर सिंह निवासी ग्राम पिन्जौरा थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

01 तमंचा 315 बोर (घटना में प्रयुक्त)

01 खोखा कारतूस 315 बोर

01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1- प्र0नि0 श्री मनोज कुमार चाहल कोतवाली देहात सहारनपुर।

2- उ0नि0 अतुल कुमार थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।

3- है0का0 682 संदीप थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।

4- है0का0 306 हरिओम थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।

5- है0का0 839 कपिल राणा थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।

6- का0 75 विवेक कुमार थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।

दिनांकः 30-08-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नागल, सहारनपुर पुलिस द्वारा बाद मुठभेड़ 25 हजार का ईनामी गौकशी का वांछित/हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त घायल/गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 01 जिंदा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर, 01 जिंदा गोवंश, 02 चाकू, 01 कुल्हाडी, 01 लकडी का गुटका व रस्सी बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में विगत 01 सप्ताह से जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार गौकशी की घटनाओ पर प्रतिबंध लगाने हेतु गौकश / गौ तस्करो पर की धरपकड हेतु लगातार कार्यवाही की जा रही है । इसी क्रम मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण मे दिनांक 29/08/2023 की रात्रि को **मुखबिर द्वारा ग्राम गागनौली के जंगलो मे गौकशी की सूचना प्राप्त होने पर जब थाना नागल पुलिस जंगल ग्राम गागनौली में पहुंची** तो गौकश बदमाशों द्वारा पुलिस टीम को नजदीक आता देखकर अचानक से थाना नागल पुलिस पर फायरिंग की गयी। थाना नागल पुलिस द्वारा भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गयी। **फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया** तथा इसका एक अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। बदमाशो से हुई मुठभेड़ में वरिष्ठ उपनिरीक्षक श्री ओमेन्द्र मलिक के दाहिने बाजू में भी गोली लगी है। घायल/गिरफ्तार हिस्ट्रीशीटर बदमाश का नाम **फरमान उर्फ बिल्ला पुत्र अब्दुल रहीम निवासी ग्राम पाण्डौली थाना नागल जनपद सहारनपुर** है। फरमान उर्फ बिल्ला **थाना रामपुर मनिहारन से गोकशी के मुकदमे में वांछित** चल रहा है तथा थाना नागल का **हिस्ट्रीशीटर** एवं **25 हजार का इनामी वांछित** अभियुक्त भी है । इसके अलावा इस पर जनपद के विभिन्न थानो में गंभीर धाराओ में कुल 10 मुकदमे दर्ज है। घायल/गिरफ्तार बदमाश व घायल वरिष्ठ उपनिरीक्षक श्री ओमेन्द्र मलिक को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है तथा **फरार बदमाश की तलाश हेतु कॉम्बिंग की जा रही है।** गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना नागल पुलिस द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। घटनाक्रम के सम्बन्ध मे अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना नागल पर मु0अ0सं0 234/23 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट/11क पशु क्रूरता अधि0/307 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त फऱमान उर्फ बिल्ला उपरोक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त फरमान उर्फ बिल्ला ने पूछताछ करने पर बताया गया कि मे और मेरा साथी जो आज मेरे साथ था, हम लोग चलते फिरते ईधर उधर घूम कर जंगलो मे घूमने वाले गाय, बिजार, बछडा व अन्य आदि पशुओं को पकडकर, काटकर उनका मीट ईधर उधर महँगे दामो मे बेच देते है। आज भी हम इस गौवंश को इसी ईरादे से यहाँ लेकर आये थे। हमे अन्दाजा नही था कि पुलिस यहाँ आ जायेगी। पुलिस को देखकर हमने भागने के ईरादे से गोली चला दी।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-
फरमान उर्फ बिल्ला पुत्र अब्दुल रहीम निवासी ग्राम पाण्डौली थाना नागल जनपद सहारनपुर

बरामदगीः-
- 01 तमंचा 315 बोर
- 01 जिंदा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर
- 01 जिंदा गोवंश
- 02 चाकू
- 01 कुल्हाडी
- 01 लकडी का गुटका
- रस्सी

आपराधिक इतिहासः-
1. मु0अ0सं0 83/09 धारा 379 भादवि थाना नांगल सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 97/09 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व ¾ पशु क्रूरता अधि0 थाना नांगल सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 284/09 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व ¾ पशु क्रूरता अधि0 थाना नांगल सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 209/16 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना नांगल सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 326/16 धारा 174ए भादवि थाना नांगल सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 68/17 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 3/11 पशु क्रूरता अधि0 थाना नांगल सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 53/13 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व ¾ पशु क्रूरता अधि0 थाना सदर बाजार
8. मु0अ0सं0 181/22 धारा 307 भादवि थाना नांगल सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 182/22 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना नांगल सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 234/23 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 307 भादवि व 3/25/27 ए एक्ट थाना नांगल सहारनपुर
11. मु0अ0सं0 293/23.धारा 3/5/8 सीएसएक्ट थाना कोतवाली देहात

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-
1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवेश कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. व0उ0नि0 ओमेन्द्र सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 नरेन्द्र भडाना थाना नांगल जिला सहारनपुर
4. उ0नि0 रविन्द्र नागर थाना नांगल जिला सहारनपुर
5. है0का0 930 मुकेश कुमार थाना नांगल
6. का0 2052 रोहित कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर
7. का0 2017 चिराग बैसला थाना नांगल जिला सहारनपुर।
8. का0 2440 हरकेश सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर
9. का0 2442 मौ0 नदीम थाना नांगल जिला सहारनपुर
10. का0 2055 रवि कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर

दिनांकः 29-08-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस टीम एवं औषधि विभाग द्वारा संयुक्त छापेमारी कर अवैध नशीली दवाईयो का जखीरा बरामद कर 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के द्वारा जनपद मे प्रतिबन्धित अवैध नशीली दवाईयों का कारोबर करने वाले अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये हैं। सहायक आयुक्त (ओषधि) सहारनपुर मण्डल सहारनपुर द्वारा भी आदेश क्रमांक एफ0एस0डी0ए0 /सहारनपुर /2023/53 दिनांक 25.8.2023 जारी किये गये हैं। इसी क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी मण्डी के कुशल नेतृत्व मे थाना मण्डी पुलिस टीम एव औषधी विभाग की टीम- निरीक्षक (सहारनपुर) श्री लवकुश, औषधी निरीक्षक (मुजफ्फरनगर) श्री पवन कुमार व औषधि निरीक्षक (शामली) श्रीमती निधि पाण्डे द्वारा छापेमारी कर अभियुक्त **मौ0 काशिफ पुत्र मो0 इकराम निवासी म0नं0 201 कमेला कालोनी गली नं0 01 थाना मण्डी सहारनपुर** को अभियुक्त मो0 काशिफ का मेडिकल स्टोर गली नं0 8 अल्लाह वाली गली महमूद की डेयरी कमेला कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया तथा 114 प्रकार की एलोपैथिक औषधियाँ, नारकोटिक्स, नशीली ओषधियाँ/ दवाईयाँ, वजन लगभग 23 किलो व कीमत लगभग - 124,777.63 रूपये बरामद की गई। अभियुक्त मो0 काशिफ उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। बरामदगी के सम्बन्ध मे अभियुक्त काशिफ उपरोक्त के विरूद्ध थाना मण्डी पर मु0अ0स0 267/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट व 18सी/27 औषधी एवं प्रसाधन सामग्री अधि0 पंजीकृत किया गया है।

पूछताछ का विवरण- मो0 काशिफ उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मेरे पास एलोपैथिक वैध दवाईया बेचने का लाईसेन्स है लेकिन उसमे अच्छा मुनाफा नही होता है नशीली दवाईया रखने व बेचने से अच्छी कमाई होती है, इसलिए लालचवस मैने ये नशीली दवाईया रखनी व बेचनी शुरू कर दी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मौ0 काशिफ पुत्र मो0 इकराम निवासी म0नं0 201 कमेला कालोनी गली नं0 01 थाना मण्डी सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

114 प्रकार की एलोपैथिक औषधियाँ , नारकोटिक्स , नशीली ओषधियाँ/ दवाईयाँ, वजन लगभग 23 किलो व कुल कीमत - 124,777.63 रूपये।

बरामदगी स्थलः–

काशिफ मेडिकल स्टोर कमेला कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. औषधी निरीक्षक श्री लवकुश जनपद सहारनपुर
2. औषधी निरीक्षक श्री पवन कुमार जनपद मुजफ्फरनगर
3. औषधि निरीक्षक श्रीमती निधि पाण्डे जनपद शामली
4. उ0नि0 सोनू राणा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
5. का0 273 प्रशांत कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
6. का0 473 शुभम तालियान थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांकः 30-08-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

साईबर हैल्प डैस्क टीम थाना नागल, सहारनपुर पुलिस द्वारा साईबर ठगी के शिकार हुये व्यक्ति के कराये गये 15000/- रूपये वापस ।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 30-08-2023 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे, साईबर अपराधो की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी नांगल श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व मे थाना नांगल पर गठित साईबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा 15000/- रूपये की धनराशि मा0 न्यायालय के आदेशानुसार शिकायकर्ता सन्दीप पुत्र रमेश निवासी ग्राम कोटा थाना नागल जनपद सहारनपुर के खाते में सकुशल वापस कराये गये।

प्रकरण उपरोक्त में दिनांक 03.04.2023 को शिकायतकर्ता संदीप कुमार द्वारा थाना नागल पर साईबर शिकायत 33104230050731 साईबर पोर्टल पर पंजीकृत कराई गई थी, जिसमें शिकायकर्ता से अज्ञात व्यक्ति ने रिश्तेदार बनकर फर्जी तरीके धोखाधडी कर फोन पे के माध्यम से 22000/- रूपये ट्रांसफर करा लिये थे। उक्त प्रकरण में तत्काल कार्यवाही करते हुये फिनो बैंक के फ्राड खाते में 15000/- रूपये होल्ड कराये गये थे। आज दिनांक 30.08.2023 को 15000/- रूपये की धनराशि मा0 न्यायालय के आदेशानुसार शिकायकर्ता सन्दीप पुत्र रमेश निवासी ग्राम कोटा थाना नागल जनपद सहारनपुर के खाते में सकुशल वापस कराये गये।

साईबर हेल्पडेस्क टीम थाना नांगलः-

1. प्र0नि0 प्रवेश कुमार थाना नागल जनपद सहानपुर
2. उ0नि0 हरेन्द्र सिंह थाना नागल जनपद सहारनपुर
3. कम्प0आप0 रूपेन्द्र सिंह थाना नागल जनपद सहारनपुर
4. का02163 उमेश कुमार थाना नागल जनपद सहारनपुर
5. म0का0434 अल्पना भारती थाना नागल जनपद सहारनपुर

दिनांक: 30/08/2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर लूटेरे गिरफ्तार।

बरामदगी-

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 वीबो मोबाईल फोन डार्क ब्लू रंग**
- **01 स्पलैण्डर प्लस मोटर साईकिल बरामद**

अवगत कराना है कि दिनांक 29.08.23 को वादी श्री अमनीश कुमार पुत्र नाथीराम नि0 जयरामपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर द्वारा बाबत अज्ञात 02 व्यक्तियों स्पैलण्डर मोटरसाईकिल सवार द्वारा आईटीसी गेट के सामने चौकी क्षेत्र खलासी लाईन से वादी के हाथ से वादी का मोबाईल फोन VIVO रंग डार्क ब्लू छीनकर ले जाने के सम्बन्ध में छाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 380/23 धारा 392 भादवि के पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए लूट के सफल अनवारण व अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतू निर्देश दिये गये। निर्देशो के अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश चन्द्र सिंह के कुशल नेत्तृव में गठित पुलिस टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण- (1) अंकुर त्यागी पुत्र विकास त्यागी निवासी माटकी झरौली थाना बेहट जनपद सहारनपुर, (2) आकाश भारती पुत्र ओमप्रकाश निवासी हमामपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर को लकडी के पुल के पास से गिरफ्तार किय़ा गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 मोबाइल फोन वीबो कम्पनी IMEI no 862551052641716, 862651052641708 व 01 मोटर साईकिल नं0- UP-12-BK-1451 (स्पेलैण्डर प्लस) जिसका चैसिस नम्बर MBLHAW 114 MHG 51930 ईंजन नम्बर HA 11 EVMHG 37177 बरामद हुई है। (चालान एप पर चैक किया गया तो उक्त मोटर साइकिल का पंजीकरण स्वामी मुकेश कुमार वर्मा पुत्र धनसिंह वर्मा नि0 म0नं0 262 शाहबुददीनपुर मुजफ्फरनगर मो0नं0 8864909591 के नाम पर रजिस्टर्ड होना पाया गया व उक्त मोबाईल नम्बर पर मोटरसाईकिल स्वामी से वार्ता की गयी तो बताया कि दिनांक 26.08.23 को मेरी मोटर साइकिल नं0 - UP 12 BK 1451 मुजफ्फरनगर कोतवाली क्षेत्र से चोरी हो गयी थी। हम लोग अभी तक अपनी मोटर साइकिल तलाश कर रहे हैं।) गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है.।

दोनो अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर आकाश ने पूछताछ पर बताया गया कि मैं नशे का आदी हुँ व पहले भी मै कई मामलों में जेल जा चुका हूं और मैं कोई काम नहीं करता हूं। अपने नशे व कोर्ट-कचहरी के खर्चे के लिए मोबाइल छीनना व बाइक चोरी जैसी घटना करता हूँ। कल भी मैंनै अपने साथी अंकुर के साथ इस चोरी की मोटर साइकिल जो हमने मु0नगर से चुराई थी, से आईटीसी गेट के सामने से मोबाइल पर बात कर रहे एक व्यक्ति से मोबाइल छीन लिया था और मौके से भाग गये थे।

अभियुक्त का नाम पताः-

1. अंकुर त्यागी पुत्र विकास त्यागी निवासी माटकी झरौली थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. आकाश भारती पुत्र ओमप्रकाश निवासी हमामपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 मोबाइल फोन वीवो कम्पनी का IMEI no 862551052641716, 862651052641708
- 01 मोटर साईकिल नं0- UP-12-BK-1451(स्पेलैण्डर प्लस मोटर साईकिल) जिसका चैसिस नम्बर MBLHAW 114 MHG 51930 ईंजन नम्बर HA 11 EVMHG 37177

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री संजय राणा सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
2. का0 2212 राजवीर राणा थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
3. का0 2329 अनिल कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त आकाश भारती का आपराधिक इतिहास—

1. मु0अ0सं0 148/20 धारा 272/273 भादवि व 60(2) उत्तर प्रदेश उत्पाद-शुल्क अबकारी अधिनियम थाना नानौता सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 162/22 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम थाना ननौता सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 371/19 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना ननौता सहारनपुर

दिनांक: 30/08/2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा NBW वारण्टी को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अभियुक्तो के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय, सहारनपुर के निर्देशन में आज दिनांक 30.08.2023 को थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा **NBW वारण्टी आदिल पुत्र जिन्दा हसन नि0 खानआलमपुरा थाना जनकपुरी सहारनपुर संबन्धित वाद सं0 2829/23 धारा 3/10 गुण्डा अधि0 चालानी थाना जनकपुरी सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। वारण्टी को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आदिल पुत्र जिन्दा हसन नि0 खानआलमपुरा थाना जनकपुरी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

- उनि0 श्री इन्द्रसैन, थाना जनकपुरी, स0पुर।
- है0कां0 31 सुभाष कुमार, थाना जनकपुरी, स0पुर।

दिनांक: 30/08/2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी के 02 वांछित अभियुक्त (सगे भाई) गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 पीली धातु चैन, पीली धातु का 01 कड़ा व सफेद धातु की 01 जोडी पाजेब बरामद ।

अवगत कराना है कि थाना जनकपुरी पर दिनांक 29.08.2023 को वादी क्रान्ति कुमार पुत्र प्रभात कुमार नि0 सुक्कुपुरा बेरीबाग थाना जनकपुरी सहारनपुर द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र बाबत अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादी के घर मे घुसकर तथा ताला तोडकर 5000 रु0 व सोने चाँदी के आभूषण चोरी करने के सम्बन्ध में दाखिल किया गया, जिस पर थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 193/23 धारा 380/411/454/120बी भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे जनपद मे चोरी की घटनाओ पर अकुंश लगाने व चोरी के अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय, सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व मे त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित/प्रकाश मे आये अभियुक्तगण- **1.जतिन उर्फ अच्चा पुत्र विनोद कुमार नि0 मौहल्ला सुक्कुपुरा बेरीबाग थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर, 2. इन्द्रपाल उर्फ अमन पुत्र विनोद कुमार निवासी मौ0 सुक्कुपुरा बेरीबाग थाना जनकपुरी सहारनपुर** को चोरी किये गये सामान **चोरी की 01 पीली धातु चैन, पीली धातु का 01 कड़ा व सफेद धातु की 01 जोडी पाजेब** के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियूक्तगण को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ के दौरान अभियुक्त जतिन उर्फ अच्चा द्वारा बताया कि मुझे व मेरे भाई इन्द्रपाल उर्फ अमन को नशा करने की लत है, हम दोनो के पास नशा करने के लिये पैसे नही थे, तो मैने देखा की हमारे घर के सामने वाले मकान मे रहने वाले पडोसी ताला लगाकर कही बाहर गये हुये हैं। दोपहर के समय मे मै और मेरा भाई छत पर चढकर सीढियो से होते हुआ मकान के अन्दर चले गये तथा ताला तोडकर हमैने अलमारी मे रखे कुछ पैसे व गहने चुरा लिये थे तथा छत के रास्ते ही वापस आ गये ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. अभियुक्त जतिन उर्फ अच्चा पुत्र विनोद कुमार नि0 मौहल्ला सुक्कुपुरा बेरीबाग थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर उम्र 19 वर्ष
2. अभियुक्त इन्द्रपाल उर्फ अमन पुत्र विनोद कुमार निवासी मौ0 सुक्कुपुरा बेरीबाग थाना जनकपुरी सहारनपुर उम्र 21 वर्ष

बरामदगी:-

01 पीली धातु की एक चैन,

01 पीली धातु का कड़ा

01 जोडी सफेद धातु की पाजेब

अपराधिक इतिहास अभियुक्त जतिन उर्फ अच्चा-

मु0अ0सं0 321/21 धारा 323/325/504/506 भादवि, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री सुबोध कुमार, थाना जनकपुरी, स0पुर।
2. है0का0 141 विनित कुमार, थाना जनकपुरी, स0पुर।
3. कां0 2381 राहुल, थाना जनकपुरी, स0पुर।

दिनांक: 30/08/2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से कुल 500 ग्राम अवैध चरस बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीले पदार्थो के तस्करो के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है, इसी क्रम मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेश कुमार के कुशल नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तगण- **1.महमूद पुत्र शेरदीन नि0- ग्राम बादशाहीबाग थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर, 2.दानिश पुत्र अनवर नि0- ग्राम काशेपुर मलकपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर** को ईदगाह के पास सदिंग्ध होने पर तलाशी ली गयी तो अभियुक्तगण के कब्जे से 250-250 ग्राम अवैध चरस बरामद हुयी। अभियुक्त गण महमूद , दानिश उपरोक्त को उसके जुर्म से अवगत कराते हुए ईदगाह गेट के सामने रायपुर रोड गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के सम्बन्ध मे अभियुक्त गण महमूद व दानिश उपरोक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0 126/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण ने बताया कि हम लोग मजदूरी करते हैं पैसे कमाने के लालच में विकासनगर से एक अजनबी व्यक्ति से चरस खरीदी थी, जिसे आज हम अपने यहाँ बेचने जा रहे थे कि रास्ते में पुलिस ने हमे पकड लिये। हम बेचने वाले का नाम पता नही जानता।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

1-महमूद पुत्र शेरदीन नि0- ग्राम बादशाहीबाग थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2-दानिश पुत्र अनवर नि0- ग्राम काशेपुर मलकपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

अभियुक्तगण के कब्जे से 250-250 ग्राम अवैध चरस बरामद हुयी।

पुलिस पार्टी –

1. प्र0नि0 नरेश कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 सोमपाल सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
3. हेका0 32 गौरव भाटी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
4. का0 2453 संदीप थाना मिर्जापुर जिलासहारनपुर

दिनांकः 30-08-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 05 किलो डोडा चूर्ण बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीले पदार्थो के तस्करो के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है, इसी क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व मे थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 30.08.2023 को नशे के कारोबार में संलिप्त 01 अभियुक्त **कलीम उर्फ बिल्ली पुत्र मंसूर निवासी मौ0 ढोलीखाल खम्बरपुरा दाउद सराय थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को फव्वारा चौक के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त कलीम उर्फ बिल्ली उपरोक्त के कब्जे से 05 किलो डोडा चूर्ण बरामद हुआ। अभियुक्त कलीम उर्फ बिल्ली पुत्र मंसूर उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 249/23 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पकडे गये अभियुक्त कलीम उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मै हम नशे के आदि हूँ तथा डोडा चूर्ण बेचकर पैसा कमाकर अपना खर्च निकालता हूँ। मै आज डोडा चूर्ण बेचने ही जा रहा थे कि पुलिस ने मुझे पकड लिया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

कलीम उर्फ बिल्ली पुत्र मंसूर निवासी मौ0 ढोलीखाल खम्बरपुरा दाउद सराय थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

कुल 05 किलो डोडा चूर्ण **(सम्बन्धित मु0अ0सं0 249/23 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कु0शेर)**

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त कलीम उर्फ बिल्ली पुत्र मंसूर–

मु0अ0स0 69/17 धारा 3/8 गोवध अधि0 थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
मु0अ0स0 27/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
मु0अ0स0 125/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मण्डी जिला सहारनपुर
मु0अ0स0 415/20 धारा 3/5ए/8 गोवध अधि0 थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
मु0अ0स0 88/22 धारा 3/8 गोवध अधि0 व 3/11 पशु क्रूरता अधि0 थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
मु0अ0स0 371/22 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
मु0अ0स0 249/23 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर

दिनांकः 30-08-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 11 घण्टो में लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 लूटेरे गिरफ्तार, कब्जे से 2500 रूपये नकद व घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 30.08.2023 की रात्रि को वादी सोनी पुत्र रमेशचन्द्र अब्दुल्लापुर थाना चिलकाना द्वारा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर पर भगत सिंह चौक स्थित एटीएम में स्वयं से हुई लूट की घटना के सम्बन्ध थाना मण्डी पर मु0अ0सं0-268/23 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए घटना के अनावरण हेतु निर्देश दिये गये, जिसके अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में टीम गठित की गयी जिनके द्वारा सीसीटीवी कैमरा के आधार पर अभियुक्तगण की शिनाख्त की गयी तथा मात्र 11 घण्टो में ही लूट की घटना को अन्जाम देने वाले 02 अभियुक्तगण- **1. अवी सैनी उर्फ बाबू पुत्र प्रमोद निवासी गांधी कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर, 2. राहुल शर्मा पुत्र श्यामलाल शर्मा निवासी उपरोक्त** को लूटे गये 2500 रूपयो के साथ बाबालाल दास रोड से गिरफ्तार किया गया तथा लूट की घटना में प्रयुक्त स्कूटी भी बरामद की गयी। अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभि0गण द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम दोनो नशा व मौज मस्ती के आदि है। हम लोगो के पास पैसे खत्म हो गये थे तथा अपने शौक पूरे करने के लिये हमे रूपयो की जरूरत थी। इसलिए हम भगत सिंह चौक स्थित एटीएं पर इस फिराक से आ गये कि किसी एटीएम से रूपये निकालने वाले से रूपये छीन कर भाग जायेगें मौके मिलने पर हमने 01 व्यक्ति से रूपये छीने व स्कूटी से मौके से भाग गये। यह वही रूपये हैं जो हमसे मिले हैं तथा इसी स्कूटी से हमने एटीएम से लूट की घटना की थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. अवी सैनी उर्फ बाबू पुत्र प्रमोद निवासी गांधी कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर।
2. राहुल शर्मा पुत्र श्यामलाल शर्मा निवासी उपरोक्त।

बरामदगी का विवरणः-

अभि0 अवी सैनी उर्फ बाबू के कब्जे से लूटे गये 1000 रूपये तथा अभि0 राहुल उपरोक्त के कब्जे से लूटे गये 1500 रूपये बरामद किये गये। अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 स्कूटी भी बरामद की गयी।

आपराधिक इतिहास- (अभियुक्त अवी सैनी)-

1. मु0अ0सं0- 308/22 धारा 8/21/29 NDPS Act थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0- 348/21 धारा 13G Act थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास- (राहुल शर्मा)- निल

पुलिस पार्टीः-

1. उ0नि0 श्री नरेन्द्र सोलंकी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0कां0 151 बाबूराम थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0कां0 459 पवन कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर